पारिवारिक समझौता विलेख

यह पारिवारिक समझाता विलेख वि किया गया है।	दनाक	का (स्थान) म ानष्पादित
पक्षकार		
पक्ष - A (ना (आगे इसे "पक्ष A" कहा जाएगा)		, निवासी
पक्ष - B (ना (आगे इसे "पक्ष B" कहा जाएगा)		निवासी
भूमिका 1. अनुसूची-A में उल्लिखित संपत्ति अर्जित संपत्ति है।	निवासी	(नाम) पुत्र/पुत्री की स्व-
2(स्नेहवश हस्तांतरण विलेख (Transi संख्या के माध्या हस्तांतरित किए हैं।		

3. भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए पक्षकार संपत्ति के हिस्सों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहते हैं।

समझौते की शर्तें

1. संपत्ति का विभाजनः

पक्ष A को अनुसूची-B में उल्लिखित संपत्ति का पूर्ण एवं स्वतंत्र स्वामित्व दिया जाएगा। पक्ष B को अनुसूची-C में उल्लिखित संपत्ति का पूर्ण एवं स्वतंत्र स्वामित्व दिया जाएगा।

2. संपत्ति का उपयोग एवं कब्ज़ा:

पक्षकार एक-दूसरे की संपत्ति को स्वतंत्र स्वामित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। मृत्यु के बाद संपत्ति का विभाजन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. संपत्ति की बिक्री:

यदि पक्ष A अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, तो सबसे पहले उसे पक्ष B को मौजूदा बाजार दर पर पेशकश करनी होगी। इसी प्रकार, यदि पक्ष B अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, तो उसे सबसे पहले पक्ष A को मौजूदा बाजार दर पर पेशकश करनी होगी।

4. किराए पर उपयोग का नियम:

यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्ष की संपत्ति का उपयोग करना चाहता है, तो उसे मौजूदा बाजार दर पर किराया देना होगा।

5. कर एवं दायित्व:

प्रत्येक पक्ष अपनी आवंटित संपत्ति पर सभी करों, भूमि शुल्क, शहरी कर, व अन्य देनदारियों का स्वयं वहन करेगा।

6. भविष्य के उत्तराधिकारी:

यदि किसी पक्षकार की मृत्यु पहले हो जाती है, तो उसके क्लास-I उत्तराधिकारी (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के अनुसार) उसकी जगह लेंगे और इस विलेख में निर्दिष्ट सभी अधिकारों एवं दायित्वों का पालन करेंगे।

अनुसूची (Schedule)

अनुसूची-A (संपूर्ण संपत्ति का विवरण)

संपत्ति का पता:
संपत्ति का बाजार मूल्य: ₹ लाख (अनुमानित)
अनुसूची-B (पक्ष A को आवंटित संपत्ति)
संपत्ति का बाजार मूल्य: ₹ लाख
अनुसूची-C (पक्ष B को आवंटित संपत्ति)
संपत्ति का बाजार मूल्य: ₹ लाख

हस्ताक्षर एवं गवाह

इस विलेख में उल्लिखित शर्तों को पढ़कर, समझकर एवं सहमत होकर पक्षकारों ने नीचे हस्ताक्षर किए हैं।

गवाहः प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष